ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर,दरभंगा–846004

पत्रांक : A/C-237/25 दिनांक : 10.05.202

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सभी अंगीभूत महाविद्यालय,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वरनगर,दरभंगा ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–2026 का बजट प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में सूचित करना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 47 एवं 48 में वर्णित प्रावधानों के अधीन शिक्षा विभाग के पत्रांक 1851 दिनांक 06.06.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए दिए गए निदेश के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2025–2026 का वार्षिक बजट संलग्न प्रारुपानुसार तैयार किया जाना है। प्रपत्र के **Column No.** 26 एवं 36 में महँगाई भत्ता **60%** तथा जनवरी, 2025 या जुलाई 2025 में प्रदान किए जाने वाले वार्षिक वृद्धि प्रदान करते हुए तैयार किया जाना है। चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता एवं परिवहन भत्ता की गणना शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत संकल्प सं0 591 के आधार पर किया जाना है। जिसे हर हाल में दिनांक **15.05.2024** तक विश्वविद्यालय के लेखा–शाखा में उपलब्ध करा दिया जाए। **बजट का निर्माण PVC द्वारा सातवें वेतनमान में निर्धारित वेतन–बिन्दु के आधार पर ही किया जाय।**

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आग्रह है कि प्रधानाचार्यगण व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अपने महाविद्यालय का बजट **M.S.Excel में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी अर्थात् पेन ड्राइव** में बजट शाखा में जमा करने की कृपा की जाय। क्योंकि बजट का निर्माण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के आधार पर तैयार कराया जा रहा है। साथ ही ध्यान रहे कि राज्य सरकार से प्राप्त संलग्न प्रारूप का एक भी Column खाली नहीं रहे। बकाया वेतनादि मद से सम्बन्धित प्रमाण पत्र–II को भी अवश्य भरकर उपलब्ध कराया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक यथोक्त

विश्वासभाजन

09/5/24

कुलसचिव

अनिल
09/05/24

13

Name of the College :-

Budget 2025-26(Proforma)

Income												
University Fund						Student Fund						
NAME OF COLLEGE:-	Tution Fee	Admission Fee	T.C./C.L.C.	Fine & otner Exam Income	Total	Dev. Fee	Lib. Fee	Sports	I-Card /Common	Hostel/ Other	Exam & Registration	Total (in Rupees)	Grand Total (In Rupees)
ACTUAL 2023-24													
PROPOSED 2024-25													
ESTIMATED 2025-26													

EXPENDITURE

NAME OF COLLEGE:-	T.A./C.A.	Stationary	Postage/ Courier	Tele/Mob.	Electricity	Generator /Diesel	Lib. Book	Laboratory	Field Work	Exam & Registration	Seminar	Others	Total (in Rupees)
ACTUAL 2023-24													
PROPOSED 2024-25													
ESTIMATED 2025-26													

Statement Showing College Wise Admitted Student

Name of the College	Session	I.A.	I.SC.	I.COM.	B.A.	B.SC.	B.COM.	M.A.	M.SC.	M.COM	VOC	Total
ACTUAL 2023-24	2023-24											
PROPOSED 2024-25	2024-25											
ESTIMATED 2025-26	2025-26											

Accountant Bursar Principal

बकाया वेतनादि के मद में माँगी जाने वाली राशि के साथ दिया जाने वाला प्रमाण पत्र –II

महाविद्यालय का नामः– ....

प्रमाणित किया जाता है किः

1. इस प्रमाण–पत्र साथ दी जा रही विवरणी के आधार पर कुल .... शिक्षक एवं कुल .... शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए कुल ....(शब्दो में) बकाया वेतनादि के मद में राशि की माँग की गयी है।

2. उपर्युक्त राशि की माँग सही है तथा इस मद में राज्य सरकार से पूर्व में प्राप्त कोई राशि व्यय हेतु अवशेष नहीं है, तथा उपर्यक्त माँगी की गई राशि के विरूद्ध पूर्व में कोई भी भुगतान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर सरकार से प्राप्त राशि अथवा अपने आंतरिक स्त्रोत से नहीं दिया गया है।

3. शिक्षकेत्तर कर्मचारीयों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक 01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं किया गया है, तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया गया है एवं इसमें किसी भी प्रकार का ढ़ील या फेर–बदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जिन शिक्षकेत्तर कर्मचारीयों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो, उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है।

4. उपर्युक्त माँग राशि में ऐसा कोई वेतन/भता सम्मिलित नही किया गया है, जिसमें राज्य सरकारी की पूर्वानुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त नही है।

5. शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की माँग में शामिल किये गये किसी भी प्रकार के विशेष वेतन एवं भता अथवा वित्तीय लाभ शामिल किये जाने की स्थिति में उससे संबंधित राज्य सरकार के परिपत्र/पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि अधियाचित राशि की गणना के साथ संलग्न है।

6. शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियो की प्रोन्नति के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा क्रमशः 58(10) तथा संबंधित परिनियमों एवं परिपत्रों के आलोक में अपेक्षित सक्षम प्राधिकार के साथ–साथ सक्षम अधिकारी का प्रक्रियागत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया कर लिया गया है।

7. वैसे प्रयोगशाला प्रभारी/सहायक जिनका पद विधिवत रुप से स्वीकृत नहीं है तथा स्टाफिंग पैटर्न तथा अन्य कारणों से उनकी सेवा की निरन्तरता बनी हुई है, को तत्काल रू0 4000–6000 रूपये के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में वेतन बैंड रू0 5200–20200 तथा ग्रेड पे–2400 में प्रावधान किया गया है एवं तदनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान में स्थानांतरित किया गया है।

8. पटना विश्वविद्यालय(संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा–(2) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि माना गया है, जो दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.09.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थे।

9. राज्य सेवी वर्ग के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को तृतीय वर्गीय कर्मियों को तृतीय कर्मियों के रूप में सीधी प्रोन्नति दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। दिनांक 31.03.2011 के प्रभाव से अर्हता धारित करने वाले चतुर्थवर्गी कर्मियों को वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में नियुक्ति का प्रावधान है। अतः राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा विभागीय पत्रांक–344 दिनांक 18.06.1990 में अंकित प्रावधानों के अनुपालन में किसी चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्त कर्मी को जिनकी नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर अथवा नियपित रूप में की गयी हों तो तृतीय वर्ग के पदों पर दी गयी प्रोन्नति विधि मान्य नहीं रहने की स्थिति में उन्हें उक्त श्रेणी का स्वीकृत वेतन संरचना एवं ग्रेड पे के आधार पर प्रावधान नहीं किया गया है।

10. बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन गठित संबंधित परिनियमों तथा राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वांछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में रोक लगायी गई है।

11. उपर्युक्त सभी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के लिए माँग की जानेवाली राशि के अवधि में चालू/बकाया वेतन एवं अनुमान्य भत्ता आदि की गणना बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35(1)(ii) के परन्तुक के अन्तर्गत समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान में तथा अनुमान्य भत्तों किये गये भत्तों की द्वारा पर ही की गयी है। शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन निर्धारण में विभागीय पत्र संख्या 1044 दिनांक 07.08.2009, 1300 दिनांक 20.07.2001, 869 दिनांक 16.05.2005, 1118 दिनांक 28.09.2005, संकल्प 2374 दिनांक 29.07.2010, संकल्प 2441 दिनांक 06.08.2010 एवं संकल्प संख्या 1949 दिनांक 21.07.2011 तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में पत्र संख्या 841 दिनांक 13.04.1991, 1972 दिनांक 12.10.2004, 1074 दिनांक 17.06.2005, 446 दिनांक 22.03.2006, 898 दिनांक 07.06.2007 तथा 2693 दिनांक 27.08.2010 से सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान को ही आधार बनाया गया है तथा सारी गणनायें राज्य सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृति पर आधारित है।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 कृश्णानन्द बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य (एम0 एल0 पी0 संख्या 12591/2010) में दिनांक 31.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा अन्तलीनीकरण किये गए कर्मियों का ही नाम बजट में भाामिल किया गया है। अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार भी प्रकार की राशि की मांग नही की गयी है।

13. उपर्युक्त माँग के संबंध में सभी सबंधित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के प्रसंग में नियमानुसार अनुमान्य राशि तथा इन मदों में भुगतान की गयी राशि को ध्यान में रखते हुए राशि की माँग की गयी है जो सही है।

प्रधानाचार्य

प्रमाण–पत्रः II

बकाया वेतनादि के मद में माँगी जाने वाली राशि के साथ दिये जाने वाले

प्रमाणित किया जाता है कि इस महाविद्यालय .... में कार्यरत रहे सभी कुल–...................... शिक्षक एवं कुल–.................... शिक्षकेत्तर कर्मियों की बकाया वेतनदि के मद में राशि क्रमश : ....एवं .... अर्थात् कुल– ....रु0 मात्र की माँग की गई है।

लेखापाल   प्रधान सहायक   प्रधानाचार्य